अपील /11/2025 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

बुद्धारामदास उर्फ बुद्धीराम चेला अयोध्यादास जाति गुर्जर निवासी ब्रहमचारी बगीची, नीम दरवाजा भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण 1288 दिनांक 16.8.2018 कस्बा भरतपुर चक न01 तहसील व जिला भरतपुर

उपस्थितः—
1—पैरोकार सरकार , अपीलान्ट
2—श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 08.05.2026

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण 1288 दिनांक 16.8.2018 कस्बा भरतपुर चक न01 तहसील व जिला भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन नामांतकरण 1288 दिनांक 16.8.2018 जो कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 भरतपुर के मुकदमा संख्या सीआईएस न. 72/16 के निर्णय दिनांक 20.8.2016 की पालना में खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कराने के लिये यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. के अभिभाषक उपस्थित आये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर के मुकदमा सं0 सीआईएस न. 72/16 के निर्णय दिनांक 20.8.2016 का उल्लेख करते हुये विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जबकि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज के प्रबन्धक/संरक्षक स्व0 श्री अयोध्यादास चेला श्री मुगना चन्द ब्रहमचारी के स्थान पर बुद्धराम दास उर्फ बुद्धिराम को इसी रुप में संस्थिगत किया जाता है का आदेश पारित किया

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

था। पारित निर्णय में विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, रेस्पो0 को खातेदार नहीं माना जा सकता है और ना ही खातेदार काश्तकार मानते हुये नामान्तकरण स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तकरण गलत प्रकार से स्वीकृत किया गया है जो काबिल खारिज के है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण, अदालत के निर्णय व डिक्री/आदेश की गलत व्याख्या करते हुये स्वीकृत किया गया है जो काबिल खारिज के है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि यदि न्यायालयी निर्णय की पालना में नामान्तकरण दर्ज किया जाता है तो नामान्तकरण के प्रकार में न्यायालय आदेश से प्रविष्ठि की जानी थी जो विधि विरुद्ध है और काबिल खारिज के है। पैरोकार सरकार का यह भी कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरुद्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना स्वीकृत किया गया है जो आरम्भ से ही शून्य है ऐसे गलत आदेश की अपील हेतु म्याद की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है चूंकि अपीलान्ट भू स्वामी होने की हैसियत से, भूमि की सुरक्षा करना अपीलान्ट का दायित्व है। पैरोकार सरकार ने विधि विरुद्ध स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बहार पेश की गई है। प्रार्थी अपीलान्ट ने ही नामान्तकरण स्वीकार किया है अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1288 माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.8.2016 की पालना में भरा गया है। अपीलान्ट का यह कहना कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 9.6.25 को हुई कतई गलत है अपीलान्ट को आदेश की जानकारी शूरु से ही थी। योग्य अभिभाषक रेस्पो का यह तर्क है कि विवादित आराजी मंदिर माफी नहीं बगीची और मूर्ती मंदिर की है। दावा को खारिज बताया गया है बल्कि इसकी अपील हुई और अपील अपास्त की गई है। अपीलान्ट को रेफरेन्स करना चाहिये था। अपीलान्ट नामान्तकरण में पक्षकार नहीं होने से अग्रीविड पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट ने धारा 96 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्को के समर्थन में रुलिंग आरआरडी 1993 पेज 232, आरबीजे 2024 पेज 396 एससी, आरबीजे 2023 पेज 270 उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक रेस्पो द्वारा उद्धरित रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1288 माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.8.2016 की पालना में भरा गया है। अपीलान्ट तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते मंदिर मूर्ती की जमीन का सरंक्षक है। भूमिधारी तहसीलदार को विवादित आराजी पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.8.2016 के आदेश की राजस्व कर्मचारियों ने गलत व्याख्या कर अपीलाधीन नामान्तकरण विधिविरुद्ध दर्ज होने की जानकारी होने पर उसे अपील करने का अधिकार है। अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने अवसर देते हुये, न्यायालय के निर्णय/आदेश की पालना में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 1288 दिनांक 16.8.2018 कस्बा भरतपुर चक न01 तहसील भरतपुर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने अवसर देते हुये, न्यायालय के निर्णय/आदेश की पालना में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनाक 08.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर